

01.01.2005 से मणिपुर सरकार द्वारा परिभाषित पेंशन अंशदान योजना / नई पेंशन योजना की शुरुआत के परिणामस्वरूप, नए नियुक्त कर्मचारियों को नए जीपीएफ खातों का आवंटन बंद कर दिया गया है।

नई जीपीएफ खाता संख्या जैसे कर्मचारियों को आवंटित की जाएगी जो नई पेंशन योजना की शुरुआत से पहले ही Gr-IV कर्मचारियों के रूप में शामिल हो चुके हैं और फिर 01.01.2005 को या उसके बाद Gr-III कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।